भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2534

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

2534. श्री भगवंत खुबा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) अपने गठन के समय ई-न्यायालय की परिधि में आता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एनसीएलटी के गठन के पूर्व तत्कालीन कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) को ई-न्यायालय के अंतर्गत लाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) और (ख): जी, नहीं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) एक नई संस्था है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। कंपनी विधि बोर्ड समाप्त हो गया है।

*****